न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका

क्रि0 मी0 वाद सं0-810/16

ब्रज किशोर पंडित वगै0 बनाम पाण्डव सिंह वगै0

धारा 144 द0प्र0स0

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
-7/2017	**आदेश** प्रस्तुत कार्यवाही हँसडीहा थाना अन्तर्गत मौजा हँसडीहा के जमावंदी सं0-35 दाग सं0-399/ए, 400 एवं 401 कुल रकवा 19 कटठा 07 धूर स्थित भूमि पर जारी निषेधाज्ञा से संबंधित है। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है, कि विषयगत भूमि गैंजर खतियान में धना पंडित, गणपत पंडित, पचकोड़ी पंडित एवं फूलो पंडित के नाम से दर्ज है। वंशावली के अनुसार भिखारी पंडित को चार वारिश धना पंडित, गणपत पंडित, पचकोड़ी पंडित एवं फूलो पंडित। धना पंडित को एक वारिश आशा देवी। आशा देवी को एक वारिश अनधो देवी। गणपत पंदित को एक वारिश तेतर पंडित । फूलो पंडित को दो वारिश मिसरी पंडित एवं चोवर पंडित। पंचकोड़ी पंडित को तीन वारिश मधु उर्फ मेघलाल पंडित, टेनी पंडित एवं लालो पंडित। मेघलाल पंडित को दो वारिश जोगेश्वर पंडित एवं ब्रजकिशोर पंडित जो वर्त्तमान कार्यवाही में प्रथम पक्ष हैं । टेनी पंडित को एक वारिश विश्वनाथ पंडित । ये भी वर्त्तमान कार्यवाही में प्रथम पक्ष है। इनका यह भी कहना है कि प्रथमपक्ष के पूर्वज घना पंडित एवं अन्य द्वारा दाग सं0-399/ए एवं 400 रकवा 12 कटठा 04 धुर द्वितीयपक्ष के पूर्वज दासो महरा एवं मारू महरा के दाग सं0-527 बदलेन हेतु एस0ई0वाद सं0-62/34-35 अनुमंडल पदाधिकारी , दुमका के न्यायालय में दाखिल किया गया जिसमें अमीन द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा दिनांक-22-11-1934 को आदेश पारित किया गया। तदुपरांत प्रथम पक्ष के पूर्वज विषयगत भूमि के दखल कब्जे में आये तथा द्वितीय पक्ष दासो महरा एवं अन्य दाग सं0-527 के दखल कब्जे में आये। इस प्रकार प्रथम पक्ष दाग सं0 0-399/ए एवं 400 रकवा 12 कटठा 04 धूर भूमि के 1934 से शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है। दाग-सं0-401 एवं 402 जमावंदी सं-35 प्रथम पक्ष के पूर्वज की सम्पति है। दाग सं0-402 पर प्रथम पक्ष का आवासीय मकान है जिसमें प्रथम पक्ष सपरिवार निवास करते आ रहे है। दाग सं0-399/ए एवं 400 एवं 401 प्रथम पक्ष के मकान दाग सं0-402 के बगल पीछे है, जिसे द्वितीय पक्ष कुछ असामाजिक व्यक्तियों के सहयोग से प्रथम पक्ष के शांति पूर्ण दखल में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि प्रथम पक्ष के पूर्वज और न प्रथम पक्ष कभी कोई भूमि भुदान कमिटि को दान में भूमि दिये हैं । द्वितीय पक्ष केवल जाली कागजात बनाकर विषयगत भूमि हड़पना चाहते है। एम0 पी0 वाद सं0-81/2013 में प्रथमपक्ष को किसी प्रकार का नोटिश तामिला नहीं कराया गया है और न ही इस संबंध प्रथम पक्ष को कोई जानकारी है। द्वितीय पक्ष का	

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
2	3
-3- उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मामला पक्षकारों के दखल कब्जा का नहीं बल्कि हक एवं अधिकार से संबंधित है जिसका निपटरा वर्त्तमान कार्यवाही में संभव नहीं है। पक्षकार को हक एवं अधिकार संबंधी मामला निपटारा हेतु सक्षम न्यायलय में फरियाद करना चाहिए। इसी निरीक्षा के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित अनु0 दण्डा0 08/07/17 अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका।	Seen 20/7/1